राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**फैलीराम बनाम राजेन्द्र अग्रवाल** 102/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.9.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26/07/2024 पारित करते हुये अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर ख़ारिज फरमाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है | अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है | विवादग्रस्त भूमि को सिर्फ अपीलार्थी के भाई ने बैचान की है परन्तु अपीलार्थी ने कोई भूमि बैचान नही की है | अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में सिविल न्यायालय से भी स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है | अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी माना है, जिसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान ना कर गंभीर क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का सज्ञान लिए बगैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26/07/2024 पारित करते हुये अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज किये जाने में गम्भीर क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है | अपीलार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण स्पष्ट है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अपीलार्थी के पक्ष में साबित था एवं यदि विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति कायम नही रखी जाती है तो रेस्पो. विवादित भूमि को बैचान/हस्तान्तरण कर अथवा निर्माण कर परिवर्तित कर देंगे, जिससे अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी | अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26/07/2024 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जो मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं अपीलार्थी द्वारा मियाद के बिन्दु के सन्दर्भ में कुछ भी कथन नही किया गया है | रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गूगल मेप पेश किया गया है, जिसमे विवादग्रस्त भूमि पर आबादी दिख रखी है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में भी मकानात बताये गये है | विवादग्रस्त भूमि के मौके पर सघन आबादी है, जिस कारण तहसीलदार द्वारा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए सिवायचक भूमि घोषित की गयी है | विवादग्रस्त भूमि पर जहाँ अपीलार्थी का कब्जा नही है वहाँ अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती है | रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त भूमि के पट्टे एवं बिजली के बिल भी पेश किये है |	8/9/25 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	फैलीराम बनाम राजेन्द्र अग्रवाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	102/2025	

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर एवं विवादग्रस्त भूमि पर सघन आबादी होने के कारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26/07/2024 पारित करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज किया गया है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस रेस्पो. द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि विवादग्रस्त भूमि पर मकानात एवं आबादी मौजूद है एवं तहसीलदार द्वारा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही भी की गयी है, जिससे यह तथ्य तो स्पष्ट हो जाता है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि को बिना अनुमति अकृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसे रौका जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक समझा जाता है एवं यदि विवादित भूमि के कृषि स्वरूप को निरन्तर परिवर्तित कर अकृषि में बदला जाता है तो प्रकरण में जटिलता उत्पन्न होकर अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होना सम्भव है | ऐसे में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु भी अपीलार्थी के पक्ष में साबित होते है | ऐसी स्थिति में अपील के गुणावगुण पर बन होने एवं विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में अपीलार्थी को मियाद का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है | अत: प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है तथा मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को विवादग्रस्त भूमि 102, 103, 105, 143/1, 150, 155, 160, 236, 237, 238 कुल किता 10 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 165, 165/294 कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर स्थित ग्राम बाढ़ श्योपुर पटवार हल्का श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है | तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26/07/2024 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 08/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

8/9/25

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर